

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)  
पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

सौरभ

बनाम

रामनिवास डाई

दावा बाबत :-

मुकदमा नम्बर :- 56/2023

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से वकील सुन्दर वनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील डाई वनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.5.23

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मेला कलाक के खाता सं० 328/224 के खमरा सं. 151, 279, 280, 291/1, 291/2, 612/117 की कुल 30-086 है बरानी खातेदारी इन्जि भूमि के उत्तरि सं० 1 रामनिवास के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में है उत्तरि सं० 1 रामनिवास डाई के वजाय वादी सौरभ व उत्तरि सं० 1 रामनिवास को व हिस्सा बराबर के खातेदार काशमर घोषित किए जावे है। राजीनामा का डिक्री का आज पढ़ा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। यह पढ़ा डिक्री आज दिनांक 29.5.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



शिक्षिका अभिनीता  
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़